

मध्य-प्रदेश शासन वन विभाग



क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

| | | |
|----------------|----|--------------------|
| बजट मद | :- | क्षतिपूर्ति वनीकरण |
| वर्ष | :- | 2019-20 से 2028-29 |
| योजना का नाम | :- | मांदलियाघाट तालाब |
| स्थल का नाम | :- | कन्सेर |
| सर्वे क्रमांक | :- | 118/4, 118/3 |
| रकबा | :- | 14.220 हे. |
| बीट का नाम | :- | जावरा |
| सबरेज | :- | जावरा |
| वन परिक्षेत्र | :- | सैलाना |
| वनमण्डल | :- | रतलाम |
| प्राक्कलन लागत | :- | 7408620.00 |

सामान्य वनमण्डल - रतलाम

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

परियोजना का नाम :- माण्डलिया घाट तालाब परियोजना

क्षेत्रफल :- 14.220 हेक्टेयर

वनमण्डल का नाम :- सामान्य वनमण्डल रतलाम

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- माण्डलिया घाट तालाब परियोजना
2. जिला :- रतलाम
3. वनमण्डल :- सामान्य वनमण्डल रतलाम
4. परिक्षेत्र :- सैलाना
5. तहसील :- पिपलोदा
6. ग्राम पंचायत :- कन्सेर
7. बीट का नाम :- जावरा
8. सर्वे क्रमांक :- 118/03 एवं 118/04
9. ग्राम वन समिति :- कन्सेर
10. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :- क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण
11. मिट्टी का प्रकार :- मुरमी
12. साईट क्वालिटी :-

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 14220 पौधें
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

| प्रजाति का नाम | पौधों की संख्या | पौधों की आयु वर्ष में | पौधों की ऊँचाई (से.मी.) | कॉलर गोलाई (से.मी.) |
|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| शिशम | 3500 | | | |
| कस्टार | 1000 | | | |
| नीम | 1500 | | | |
| चिरोल | 3220 | | | |
| सागौन | 3500 | | | |
| बड़ | 300 | | | |
| पिपल | 300 | | | |
| महुआ | 300 | | | |
| बहेडा | 300 | | | |
| बीजा | 300 | | | |
| योग- | 14220 | | | |

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर 45 से.मी. गहरे तथा 45 से.मी. चौड़े तथा 3 मीटर लम्बाई में कंटूर ट्रेंच बनाये जायेंगे। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कंटूर बण्ड का निर्माण किया जायेगा। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से नाला बंधान का कार्य किया जायेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
5. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये गये ठूठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में बिरलन कार्य कार्ययोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्टाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत छटवे वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। सातवें वर्ष में 2 बार तथा आठवें वर्ष में 1 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।

7. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

| | |
|---------------------------|-------------|
| परिक्षेत्र सहायक द्वारा | 100 प्रतिशत |
| परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा | 50 प्रतिशत |
| उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा | 20 प्रतिशत |
| वनमण्डल अधिकारी द्वारा | 10 प्रतिशत |

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधें स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राजेक्ट रिपोर्ट

भाग - 01

सामान्य विवरण

01:- परियोजना का विवरण -

| | | |
|--------------------------------------|----|---|
| (अ) परियोजना का नाम | :- | क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण अंतर्गत मांदलियाघाट तालाब के एवज में प्राप्त गैर वन भूमि कन्सेर 14.220 हैक्टर |
| (ब) भारत सरकार का अनुमोदन | :- | क्रमांक दिनांक |
| (स) प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण | :- | मांदलियाघाट तालाब के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण |
| 01. जिला | :- | रतलाम |
| 02. वनमण्डल | :- | सामान्य वन मण्डल रतलाम |
| 03. परिक्षेत्र | :- | सैलाना |
| 04. तहसील | :- | पिपलोदा |
| 05. विकासखण्ड | :- | पिपलोदा |
| 06. विधानसभा क्षेत्र | :- | जावरा |
| 07. ग्राम पंचायत | :- | कन्सेर |
| 08. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त | :- | जावरा |
| 09. क्षेत्रीय परिसर (बीट) | :- | जावरा |

02. स्थल विशेष जानकारी :-

| | | |
|---|----|-------------------------------|
| 01. ग्राम वन समिति | :- | कन्सेर |
| 02. वन खण्ड एवं कक्ष क्र./राजस्व क्षेत्र | :- | सर्वे न. 118/04 ख 118/03 |
| 03. राजस्व क्षेत्र/कक्ष का कुल क्षेत्रफल | :- | 14.220 हैक्टर |
| 04. कार्यवृत्त | :- | क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण |
| 05. उपचार श्रेणी/पातन | :- | क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण |
| 06. उपचार इकाई/कुप क्र. एवं ड्यू वर्ष | :- | निरंक |
| 07. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दुरी | :- | 55 कि.मी . |
| 08. राजस्व क्षेत्र/कक्ष में पुर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी | :- | निरंक |

03. प्रस्तावित स्थल में पुर्व में किये गये वृक्षारोपण :-

- (ए) योजना :- निरंक
 (बी) वर्ष :- निरंक
 (सी) क्षेत्रफल :- निरंक
 (डी) प्रजाति अनु :- प्रजाति - पौधा संख्या
 निरंक :- निरंक - निरंक
 (ई) वृक्षारोपण असफलता का कारण :- निरंक
 (एफ) वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण :- निरंक
01. गठित समिति का प्रकार :- ग्राम वन समिति कन्सेर
 02. समिति का मुख्यालय :- कन्सेर
 03. समिति में सम्मिलित गाँव :- कन्सेर
 04. समिति के अध्यक्ष का नाम :-
 05. परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम :- श्री हरीशचन्द्र भट्ट, वनरक्षक
 06. परिक्षेत्र के सहायक का नाम :- श्री कमलसिंह देवडा, वनपाल

| | लघु कृषक | | | सीमांत कृषक | | | भुमिहीन कृषक | | | अन्य | | | योग | | |
|-------------|----------|----|-----|-------------|----|-----|--------------|----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|
| | पु. | म. | यो. | पु. | म. | यो. | पु. | म. | यो. | पु. | म. | यो. | पु. | म. | यो. |
| आदिवासी | 10 | 09 | 19 | — | — | — | — | — | — | 21 | 07 | 28 | 31 | 16 | 47 |
| हरीजन | 12 | 10 | 22 | 18 | 12 | 30 | — | — | — | 28 | 15 | 43 | 58 | 37 | 95 |
| पिछड़ा वर्ग | 17 | 08 | 25 | 27 | 23 | 50 | 09 | 05 | 14 | 42 | 23 | 65 | 95 | 59 | 154 |
| सामान्य | 35 | 25 | 60 | 65 | 20 | 85 | — | — | — | 70 | 19 | 89 | 170 | 64 | 234 |
| योग:- | 64 | 52 | 126 | 110 | 55 | 165 | 09 | 05 | 14 | 161 | 64 | 225 | 354 | 176 | 530 |

04. उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भोगोलीक रचना) :-

- (ए) टोपोग्राफी :- मैदानी क्षेत्र/मुरमी हल्की ढलान
 (बी) एस्पेक्ट :- उत्तरी क्षेत्र
 (सी) ढलान :- 10 डिग्री एवं अधिक
 (अ) पानी निकासी :- मध्यम
 (ब) भुक्षरण :- मध्यम
 (डी) चट्टानों का विवरण :- निरंक

| | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| (एफ) औसत वार्षिक वर्षा | :- | 797 मिलीमीटर |
| (जी) नरम मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टर) | :- | 30 प्रतिशत |
| (एच) कड़ी मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टर) | :- | 70 प्रतिशत |
| (आई) पथरीली मिट्टी | :- | निरंक |

05. वन क्षेत्र का विवरण :-

| | | |
|----------------------------|----|---|
| (ए) वन का प्रकार एवं वनोपज | :- | क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण राजस्व क्षेत्र में होने से वन क्षेत्र की जानकारी निरंक है । |
| संक्षिप्त विवरण | :- | निरंक |

| प्रजाति | 20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौधे | 21 से.मी. से अधिक के वृक्ष |
|---------|---------------------------------------|----------------------------|
| — | — | — |

| | | |
|--------------------------|----|-------|
| (बी) साईट क्वालिटी घनत्व | :- | रिक्त |
| (सी) पुर्ण वन वर्धन | :- | निरंक |

दुठ एवं गोलाई की गणना

| प्रजाति | गोलाई | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | 20 से.मी. तक की आड़ी-तेड़ी पौध | 21 से 30 से.मी. | 31 से 30 से.मी. | 31 से 45 से.मी. | 46 से 60 से.मी. | 61 से 90 से.मी. | 91 से 120 से.मी. | 120 से.मी. से ऊपर |
| योग :- | — | — | — | — | — | — | — | — |


| | | |
|---------------------------------------|----|-----------------------|
| (डी) आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र | :- | निरंक |
| (ई) आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र | :- | निरंक |
| (एफ) खरपतवार (मुख्यतःलेन्टाना) | :- | निरंक |
| (जी) पुर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र | :- | हैक्टर 15.000 |
| (एच) चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र | :- | — |
| (आई) विकृत बांस का क्षेत्र | :- | निरंक |
| (जे) क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला | :- | 10 प्रतिशत कच्ची मुरम |
| (के) प्राकृतिक रूप से रिक्त है | :- | निरंक |
| (कार्य अयोग्य) | | |
| (एल) जैविक दबाव | :- | अधिक |


| प्रकार | | जैविक दबाव | |
|-------------|---------|------------|-------|
| वन्य प्राणी | नील गाय | औसत | नगण्य |
| चराई | आंशिक | अधिक | — |
| मानव | आंशिक | अधिक | — |

06. योजना का उद्देश्य :- मांदलियाघाट तालाब योजना के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण ।
- क्षेत्रफल :- 14.220 हैक्टर
07. उपचार कार्यो का संक्षिप्त विवरण :- गैर कृषि भुमि वैकल्पिक वृक्षारोपण
- कट बैंक का क्षेत्र :- निरंक
- वृक्षारोपण का क्षेत्र :- 14.220 हैक्टर
- भु-क्षरण का क्षेत्र :- निरंक
- लेन्टाना :- विरल
08. रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किये जावेंगे :- अनुसंधान विस्तार वृत्त रतलाम की बासिन्द्रा, नाल, रतलाम एवं शिवगढ़ ।
09. रोपणी से रोपण स्थल की दुरी
- (अ) ट्रक / टेक्टर द्वारा :- 80-95 कि.मी.
- (ब) सिर बोझ द्वारा :- 01 से 02 कि.मी.
10. सिंचाई का विवरण
- (अ) जल स्रोत :- स्थानीय तालाब द्वारा
- (ब) वृक्षारोपण से दुरी :- क्षेत्र के बाहर
- (स) सिंचाई से तरीका :- सतही
- (द) बिजली उपलब्धता :- —
11. प्रति हेक्टर पौधों की संख्या :- 1000
- (अ) प्रति हेक्टर सी.बी.ओ. प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या :- निरंक
- (ब) क्षेत्र मे उपलब्ध वृक्षो की संख्या :- निरंक
- (20 से.मी. से अधिक)
- (स) क्षेत्र मे सीधे एवं स्थापित पौधे :- निरंक
- (20 से.मी. से अधिक)
- (द) रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित :- 14220

न्यूनतम 1000 पौधे प्रति हेक्टर से 14.220 हैक्टर हेतू कुल पौधो की संख्या 14220

| | | |
|---|----|-----------------|
| 12. योजना की अवधी | :- | 10 वर्ष |
| 13. (ए) योजना पर होने वाला संभावित व्यय | :- | 74.08 (लाख में) |
| (बी) प्रति हेक्टर व्यय | :- | 5.21 (लाख में) |
| 14. अन्य विवरण | :- | |


वन परिक्षेत्राधिकारी
सैलाना


उप वनमण्डलाधिकारी
रतलाम


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (रावटी वाला नाला)

भाग-2 (कन्सेर) का विस्तृत प्राक्कलन

प्रथम वर्ष 2020-21 क्षेत्र तैयारी

14.220

= प्राप्त रकबा हेक्टर में

मा.दि.-

318

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य कि मात्रा | | दर प्रति ईकाई | | कुल मा.दि. | राशि | रिमाक |
|------|--|-----------------|--------|---------------|--|------------|----------|----------|
| 01 | 02 | 03 | | 04 | | 05 | 06 | 07 |
| 01 | सर्वे एवं सीमांकन (हेक्टर) | 14.22 | हेक्टर | 0.45 | मा.दि./हे. | 6.40 | 2035 | जॉबदर |
| 02 | क्षेत्र सफाई हेक्टर में | 10.00 | हेक्टर | 4.00 | मा.दि./हे. | 40.00 | 12720 | जॉबदर |
| 03 | घेराव लम्बाई में | 1700 | र.मी. | - | - | - | - | - |
| 04 | चेनलिंग फेसिंग क्रय (GST सहित) 1700*1.5=2550 Sqm | 2550 | Sqm | 76.11 | MPLUN Item No. SSM 300114 | - | 194081 | MPLUN |
| 05 | बारबेड वॉयर क्रय GST सहित (2 लाईन हेतु) 1700*2=3400/6.5=523 K.G. | 523 | के.जी. | 70.40 | MPLUN Item No. SSM 260105 | - | 36819 | MPLUN |
| 06 | फेसिंग सीमेंट पोल क्रय (GST सहित) 2.0 METER (2.50 मीटर दूर पर) | 680 | नग | 250 | MPLUN Item No. SSM 120803 | - | 170000 | MPLUN |
| 07 | सर्पोटिंग पोल क्रय (GST सहित) 1.80 METER | 195 | नग | 226 | MPLUN Item No. SSM 120802 | - | 44070 | MPLUN |
| 08 | फेसिंग पोल हेतु स्टेकिंग कार्य 0.30*0.30*0.30 M | 875 | गड्डे | 2.50 | मा.दि./1000 | 2.19 | 696 | MPLUN |
| 09 | फेसिंग पोल हेतु गड्डे खुदाई कार्य 0.30*0.30*0.30 M | 875 | गड्डे | 3.00 | मा.दि./100 | 26.25 | 8348 | MPLUN |
| 10 | गड्डों में पोल फिक्सिंग कार्य सीमेंट कांक्रीट 01:02:04 अनुपात में 875*0.30*0.30*0.30= 23.625 875*0.10*0.10*0.30= -2.625 Total= 21.00 | 21.00 | घ.मी. | 5177 | SOR Item No. 4.1.1.4 M 15- Grade Concrete | - | 108717 | SOR |
| 11 | प्रत्येक पोल पर पांच स्थानों पर हुक से बारबेड वायर बाइंडिंग हेतु हुक क्रय (875 पोल*5 हुक=4375+220 अतिरिक्त हुक= 4595/30 हुक प्रति किलो=153.16 | 153 | के.जी. | 83 | रु./के.जी. | - | 12699 | बाजार दर |
| 12 | चेनलिंग फेसिंग एवं बारबेड वॉयर कसवाई मजदूरी | 1700 | र.मी. | 0.16 | मा.दि./र.मी. | 272.00 | 86496 | जॉबदर |
| 13 | निरीक्षण पथ निर्माण | 3 | कि.मी. | 25 | मा.दि./कि.मी. | 75.00 | 23850 | जॉबदर |
| 14 | तलैया निर्माण कार्य (04 नग) | 2000 | घ.मी. | 103 | रु./घ.मी. | - | 206000 | जॉबदर |
| 15 | डबरी, डबरी निर्माण कार्य | 7000 | घ.मी. | 103 | रु./घ.मी. | - | 721000 | जॉबदर |
| 16 | गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग कार्य 3*2 मीटर- 14220 मिश्रित प्रजाति | 14220 | गड्डे | 2.50 | मा.दि./1000 | 35.55 | 11305.00 | जॉबदर |
| 17 | रोपण हेतु गड्डा खुदाई कार्य 60*60*60 CM - 14220 | 14220 | गड्डे | 10.00 | मा.दि./100 | 1422 | 452196 | जॉबदर |
| 18 | गड्डों में मिट्टी बदलने हेतु मिट्टी संग्रहण एवं परिवहन मय मजदूरी (50%) 14220*0.60*0.60*0.60=3071.52/2=1535.76 | 1536 | घ.मी. | 275 | रु./घ.मी. | - | 422400 | बाजार दर |
| 19 | गड्डों में अर्द्धभराव हेतु- गोबर खाद क्रय एवं स्थल तक परिवहन मय मजदूरी (20%) 14220*0.60*0.60*0.60=3071.52/5=614.30 | 614 | घ.मी. | 1200 | रु./घ.मी. | - | 736800 | बाजार दर |

| पौधा क्रय मय 10% मृत्योरपण (केजुअल्टी रिप्लेसमेंट सहित) | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------|-------|--------------|----------------|----------------|----------|---------------------------|
| क्रमांक | प्रजाति | पौधा संख्या | | | | | | | |
| I | शिशम | 3850 | 15642 | पौधें | 35 | प्रति पौधा | - | 547470 | अनुसंधान विस्तार वृत्त |
| II | कस्टार | 1100 | | | | | | | |
| III | नीम | 1650 | | | | | | | |
| IV | चिरोल | 3542 | | | | | | | |
| V | सागौन | 3850 | | | | | | | |
| VI | बड़ | 330 | | | | | | | |
| VII | पिपल | 330 | | | | | | | |
| VIII | महुआ | 330 | | | | | | | |
| IX | बहेडा | 330 | | | | | | | |
| X | बीजा | 330 | | | | | | | |
| योग:- | | 15642 | | | | | | | |
| 22 | औजार, सामग्री एवं सुरक्षा हट निर्माण (01 नग) | 15 | वर्ग मी. | 10000 | रु./वर्ग मी. | - | 150000 | अनुमानित | |
| 23 | पौधों की सिंचाई हेतु नली, पाईप क्रय | L.S. | - | L.S. | - | - | 15000 | बाजार दर | |
| 24 | लोहे का बोर्ड एवं गेट | 250 | के.जी. | 100 | रु./के.जी. | - | 25000 | बाजार दर | |
| 25 | अन्य व्यय | - | | | L.S. | - | 29469 | अनुमानित | |
| Total | | | | | | 2092.69 | 4085000 | | |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
सैलाना

उप वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

द्वितीय वर्ष 2021-22 (रोपण वर्ष)

14.220

= प्राप्त रकबा हेक्टर में

मा.दि.-

334

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य कि मात्रा | | दर प्रति ईकाई | | कुल मा.दि. | राशि | रिमार्क | | |
|------|---|-----------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|---------|-------------|
| 01 | 02 | 03 | | 04 | | 05 | 06 | 07 | | |
| 01 | पौधों का परिवहन (10% मृत्यारोपण सहित) (अ) ट्रक या टैक्टर द्वारा | 15642 | पौधें | 04 | रू./पौधा | - | 62568 | अनुमानित | | |
| | (ब) सिरबोझ द्वारा गड्डों तक | 14220 | पौधें | 0.4 | मा.दि./100 | 56.88 | 18998 | जॉबदर | | |
| 02 | रोपण कार्य:- 0.60×0.60×0.60 | 14220 | पौधें | 2.00 | मा.दि./100 | 284.40 | 94990 | अनुसंधान विस्तार वृत्त | | |
| | क्रमांक | | | | | | | | प्रजाति | पौधा संख्या |
| | I | | | | | | | | शिशम | 3500 |
| | II | | | | | | | | कस्टार | 1000 |
| | III | | | | | | | | नीम | 1500 |
| | IV | | | | | | | | चिरोल | 3220 |
| | V | | | | | | | | सागौन | 3500 |
| | VI | | | | | | | | बड़ | 300 |
| | VII | | | | | | | | पिपल | 300 |
| | VIII | | | | | | | | महुआ | 300 |
| | IX | | | | | | | | बहेडा | 300 |
| X | बीजा | 300 | | | | | | | | |
| | योग:- | 14220 | | | | | | | | |
| 03 | रोपित पौधा का व्हीनुमा थाला बनाना | 14220 | पौधें | 1.5 | मा.दि./100 | 213.30 | 71242 | जॉबदर | | |
| 04 | प्रथम निंदाई कार्य | 14220 | पौधें | 1.25 | मा.दि./100 | 177.75 | 59369 | जॉबदर | | |
| 06 | द्वितीय निंदाई कार्य | 14220 | पौधें | 1.00 | मा.दि./100 | 142.20 | 47495 | जॉबदर | | |
| 07 | रसायनिक खाद क्रय | | | | | | | - | | |
| | SSP/पौधा 50 ग्राम × 2 बार × 14220/1000 =1422/50=28.44 बेग (प्रति बेग 50 K.G.) | 29 | बेग | 300 | रू./बेग | - | 8700 | बाजार दर | | |
| | DAP/पौधा 50 ग्राम × 2 बार × 14220/1000 =1422/50=28.44 बेग (प्रति बेग 50 K.G.) | 29 | बेग | 1400 | रू./बेग | - | 40600 | बाजार दर | | |
| | युरिया/पौधा 10 ग्राम × 2 बार × 14220/1000 =284.40/50=5.68 बेग (प्रति बेग 50 K.G.) | 6 | बेग | 350 | रू./बेग | - | 2100 | बाजार दर | | |
| 08 | फफुन्द नाशक/ग्रोथहार्मोन क्रय | 14220 | पौधें | 0.50 | रू./पौधा | - | 7110 | बाजार दर | | |
| 09 | रासायनिक खाद/फफुन्द नाशक/ग्रोथहार्मोन को मिट्टी में मिलाना एवं छिडकाव मजदूरी से | 14220 | पौधें | 0.60 | मा.दि./100 | 85.32 | 28497 | जॉबदर | | |
| 10 | बीज क्रय/संग्रहण (5 किलों/हे.) प्रजाति नीम, खमेर, एकेशिया टार्टलिस, करंज, सागौन एवं ग्लेरीसिडिया) | 50 | के.जी. | 180 | रू./के.जी. | - | 9000 | बाजार दर/दैनिक दर | | |
| 11 | बीज बुवाई कार्य (डबरा,डबरी पर) | 14.220 | हे. | 0.50 | मा.दि./हे. | - | 2375 | जॉबदर | | |
| 12 | पौधों की सिंचाई कार्य टैक्टर भाडा पानी | L.S. | - | L.S. | - | - | 300000 | अनुमानित | | |
| 13 | अग्नि सुरक्षा लाईन | 3.00 | कि.मी. | 2.25 | मा.दि./कि.मी. | 6.75 | 2255 | जॉबदर | | |
| 14 | सुरक्षा श्रमिक 01 (01 श्र. 09 माह) | 9 | माह | 8684 | रू./माह/श्र. | 234.00 | 78156 | जॉबदर | | |
| 15 | अन्य व्यय | L.S. | | L.S. | - | - | 2545 | अनुमानित | | |
| | | | | | Total | 1200.60 | 836000 | | | |

1/2/21

1/2/21

1/2/21

तृतीय वर्ष 2022-23 (रख-रखाव)

14.220

= प्राप्त रकबा हेक्टर में

मा.दि.-

351

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य कि मात्रा | दर प्रति ईकाई | कुल मा.दि. | राशि | रिमाक | | | | |
|------|---|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|-------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | | | |
| 01 | मृत्यारोपण हेतु 10% पौधा क्रय | 1422 | पौधें | 35 | रू./पौधा | - | 49770 | अनुसंधान विस्तार वृत्त | | |
| | क्रमांक | | | | | | | | प्रजाति | पौधा संख्या |
| | I | | | | | | | | शिशम | 350 |
| | II | | | | | | | | कस्टार | 100 |
| | III | | | | | | | | नीम | 150 |
| | IV | | | | | | | | चिरोल | 322 |
| | V | | | | | | | | सागौन | 350 |
| | VI | | | | | | | | बड़ | 30 |
| | VII | | | | | | | | पिपल | 30 |
| | VIII | | | | | | | | महुआ | 30 |
| | IX | | | | | | | | बहेडा | 30 |
| | X | | | | | | | | बीजा | 30 |
| | योग:- | 1422 | | | | | | | | |
| 02 | पौधों का परिवहन ट्रक या टैक्टर द्वारा | 1422 | पौधें | 04 | रू./पौधा | - | 5688 | अनुमानित | | |
| 03 | सिरबोज़ द्वारा गड्डों तक परिवहन | 1422 | पौधें | 0.4 | मा.दि./100 | 5.688 | 1996 | जॉबदर | | |
| 04 | मृत्यारोपण कार्य | 1422 | पौधें | 1.5 | मा.दि./100 | 21.3305 | 7487 | जॉबदर | | |
| 05 | प्रथम निंदाई कार्य | 14220 | पौधें | 1.25 | मा.दि./100 | 177.75 | 62390 | जॉबदर | | |
| 06 | द्वितीय निंदाई कार्य | 14220 | पौधें | 1.00 | मा.दि./100 | 142.20 | 49912 | जॉबदर | | |
| 07 | रसायनिक खाद क्रय | 11 | बेग | 1500 | रू./बेग | - | 16500 | बाजार दर | | |
| | NPK/पौधा 20 ग्राम × 2 बार = 14220 × 0.04=568.80/50 के.जी. प्रति बेग=11 बेग | | | | | | | | | |
| 08 | फफुन्द नाशक/ग्रोथहार्मोन क्रय | 14220 | पौधें | 0.50 | रू./पौधा | - | 7110 | | | |
| 09 | रसायनिक खाद/फफुन्द नाशक/ग्रोथहार्मोन को मिट्टी में मिलाना एवं छिड़काव मजदूरी से | 14220 | पौधें | 0.60 | मा.दि./100 | 85.32 | 29947 | जॉबदर | | |
| 10 | बीज क्रय/संग्रहण (5 किलों/हे.) प्रजाति नीम, खमेर, एकेशिया टार्टलिस, करंज, सागौन एवं ग्लेशीसिडिया) | 50 | के.जी. | 180 | रू./के.जी. | - | 9000 | बाजार दर/दैनिक दर | | |
| 11 | बीज बुवाई कार्य (डबरा,डबरी पर) | 14.220 | हे. | 0.50 | मा.दि./हे. | 7.11 | 2496 | जॉबदर | | |
| 12 | पौधों की सिंचाई कार्य टैक्टर भाडा पानी आदि | L.S. | - | L.S. | - | - | 150000 | अनुमानित | | |
| 13 | निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य | 3.00 | कि.मी. | 25.00 | मा.दि./कि.मी. | - | 26325 | जॉबदर | | |
| 14 | फेसिंग मरम्मत कार्य | L.S. | | | L.S. | - | 50000 | अनुमानित | | |
| 15 | सुरक्षा श्रमिक 01 (01 श्र. 12 माह) | 12 | माह | 9126 | रू./माह/श्र. | 312.00 | 109512 | जॉबदर | | |
| 16 | अन्य व्यय | L.S. | | | L.S. | - | 1867 | अनुमानित | | |
| | | | | | Total | 751.40 | 580000 | | | |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
सैलाना

उप वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

चतुर्थ वर्ष 2023-24 (रख-रखाव)

369

14.220

= प्राप्त रकबा हेक्टर में

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य कि मात्रा | | दर प्रति ईकाई | | कुल मा.दि. | राशि | रिमार्क | |
|------|---|-----------------|-------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| 01 | मृत्यारोपण हेतु 10% पौधा क्रय स्थानिय रोपणी से | | | | | | | अनुसंधान विस्तार वृत्त | |
| | क्रमांक | प्रजाति | पौधा संख्या | | | | | | |
| | I | शिशम | 350 | | | | | | |
| | II | कस्टार | 100 | | | | | | |
| | III | नीम | 150 | | | | | | |
| | IV | चिरोल | 322 | | | | | | |
| | V | सागौन | 350 | 1422 | पौधें | 35 | रु./पौधा | | |
| | VI | बड़ | 30 | | | | | | |
| | VII | पिपल | 30 | | | | | | |
| | VIII | महुआ | 30 | | | | | | |
| | IX | बहेडा | 30 | | | | | | |
| X | बीजा | 30 | | | | | | | |
| | योग:- | 1422 | | | | | | | |
| 02 | पौधों का परिवहन ट्रक या टैक्टर द्वारा | 1422 | पौधें | 04 | रु./पौधा | - | 5688 | अनुमानित | |
| 03 | सिरबोझ द्वारा गड्डों तक परिवहन | 1422 | पौधें | 0.4 | मा.दि./100 | 5.68835 | 2099 | जॉबदर | |
| 04 | मृत्यारोपण कार्य | 1422 | पौधें | 1.5 | मा.दि./100 | 21.33 | 7871 | जॉबदर | |
| 05 | प्रथम निंदाई कार्य | 14220 | पौधें | 1.25 | मा.दि./100 | 177.75 | 65590 | जॉबदर | |
| 03 | रसायनिक खाद क्रय | 14220 | पौधें | 2.50 | रु./पौधा | - | 35550 | बाजार दर | |
| 07 | फफुन्द नाशक/ग्रोथहार्मोन क्रय | 14220 | पौधें | 0.50 | रु./पौधा | - | 7110 | बाजार दर | |
| 08 | रासायनिक खाद/फफुन्द नाशक/ग्रोथहार्मोन को मिट्टी में मिलाना एवं छिडकाव मजदूरी से | 14220 | पौधें | 0.60 | मा.दि./100 | 85.32 | 31483 | जॉबदर | |
| 09 | बीज क्रय/संग्रहण (5 किलों/हे.) प्रजाति नीम, खमेर, एकेशिया टार्टलिस, करंज, सागौन एवं ग्लेरीसिडिया) | 25 | के.जी. | 180 | रु./के.जी. | - | 4500 | बाजार दर/ दैनिक दर | |
| 10 | बीज बुवाई कार्य (डबरा,डबरी पर) | 14.220 | हे. | 0.50 | मा.दि./हे. | - | 2624 | जॉबदर | |
| 11 | पौधों की सिंचाई कार्य टेक्टर भाडा पानी आदि | L.S. | - | L.S. | - | - | 100000 | अनुमानित | |
| 12 | सुरक्षा श्रमिक 01 (01 श्र. 12 माह) | 12 | माह | 9594 | रु./माह/श्र. | 312.00 | 115128 | जॉबदर | |
| 13 | अन्य व्यय | L.S. | | | L.S. | - | 2587 | अनुमानित | |
| | | | | | Total | 602.09 | 430000 | | |

पंचम वर्ष 2024-25 (रख-रखाव)

388

14.220

= प्राप्त रकबा हेक्टर में

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य कि मात्रा | | दर प्रति ईकाई | | कुल मा.दि. | राशि | रिमार्क |
|------|---|-----------------|--------|---------------|---------------|------------|--------|----------|
| | | | | | | | | |
| 01 | रसायनिक खाद क्रय | 14220 | पौधें | 2.00 | रु./पौधा | - | 28440 | बाजार दर |
| 02 | फफुन्द नाशक/ग्रोथहार्मोन/किटनाशक क्रय | 14220 | पौधें | 1.50 | रु./पौधा | - | 21330 | बाजार दर |
| 04 | रासायनिक खाद/फफुन्द नाशक/ग्रोथहार्मोन/किटनाशक को मिट्टी में मिलाना एवं छिडकाव मजदूरी से | 14220 | पौधें | 0.60 | मा.दि./100 | 85.32 | 33104 | जॉबदर |
| 05 | पौधों की सिंचाई कार्य टेक्टर भाडा पानी आदि | L.S. | - | L.S. | - | - | 100000 | अनुमानित |
| 06 | सुरक्षा श्रमिक 1 (01 श्र. 12 माह) | 12 | माह | 10088 | रु./माह/श्र. | 312.00 | 121056 | जॉबदर |
| 07 | अग्नि सुरक्षा पट्टी | 3.00 | कि.मी. | 2.25 | मा.दि./कि.मी. | - | 2619 | जॉबदर |
| 08 | चेनलिक फेसिंग मरम्मत कार्य | 1700 | र.मी. | | L.S. | - | 17000 | अनुमानित |
| 09 | अन्य व्यय | L.S. | | | L.S. | - | 1451 | अनुमानित |
| | | | | | Total | 397.32 | 325000 | |

षष्ठम वर्ष 2025-26 (रख-रखाव)

14.220

= प्राप्त रकबा हेक्टर में

मा.दि.-

407

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य कि मात्रा | | दर प्रति ईकाई | | कुल मा.दि. | राशि | रिमार्क |
|------|--|-----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 01 | 02 | 03 | | 04 | | 05 | 06 | 07 |
| 01 | पौधों की सिंचाई कार्य टेक्टर भाडा पानी आदि | L.S. | - | L.S. | - | - | 100000 | अनुमानित |
| 02 | स्थल उपयुक्ततानुसार वनवर्धनिक कार्य | L.S. | - | L.S. | - | - | 62000 | अनुमानित |
| 03 | अग्नि सुरक्षा पट्टी | 3.00 | कि.मी. | 2.25 | मा.दि./कि.मी. | | 2747 | जॉबदर |
| 04 | सुरक्षा श्रमिक 1 (01 श्र. 12 माह) | 12 | माह | 10582 | रू./माह/श्र. | 312.00 | 126984 | जॉबदर |
| 05 | अन्य व्यय | L.S. | | L.S. | | - | 1269 | अनुमानित |
| | | | | Total | | 312.00 | 293000 | |

सप्तम वर्ष 2026-27 (रख-रखाव)

14.220

= प्राप्त रकबा हेक्टर में

मा.दि.-

427

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य कि मात्रा | | दर प्रति ईकाई | | कुल मा.दि. | राशि | रिमार्क |
|------|------------------------------------|-----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 01 | 02 | 03 | | 04 | | 05 | 06 | 07 |
| 01 | सुरक्षा श्रमिक 01 (01 श्र. 12 माह) | 12 | माह | 11102 | रू./माह/श्र. | 312.00 | 133224 | जॉबदर |
| 02 | अग्नि सुरक्षा पट्टी | 3.00 | कि.मी. | 2.25 | मा.दि./कि.मी. | | 2882 | जॉबदर |
| 03 | फेसिंग मरम्मत कार्य | L.S. | | L.S. | | - | 50000 | अनुमानित |
| 04 | अन्य व्यय | L.S. | | L.S. | | - | 1894 | अनुमानित |
| | | | | Total | | 312.00 | 188000 | |

अष्टम वर्ष 2027-28 (रख-रखाव)

14.220

= प्राप्त रकबा हेक्टर में

मा.दि.-

448

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य कि मात्रा | | दर प्रति ईकाई | | कुल मा.दि. | राशि | रिमार्क |
|------|------------------------------------|-----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 01 | 02 | 03 | | 04 | | 05 | 06 | 07 |
| 01 | सुरक्षा श्रमिक 01 (01 श्र. 12 माह) | 12 | माह | 11648 | रू./माह/श्र. | 312.00 | 139776 | जॉबदर |
| 02 | अग्नि सुरक्षा पट्टी | 3.00 | कि.मी. | 2.25 | मा.दि./कि.मी. | | 3024 | जॉबदर |
| 03 | अन्य व्यय | L.S. | | L.S. | | - | 1200 | अनुमानित |
| | | | | Total | | 312.00 | 144000 | |

नवम वर्ष 2028-29 (रख-रखाव)

14.220

= प्राप्त रकबा हेक्टर में

मा.दि.-

470

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य कि मात्रा | | दर प्रति ईकाई | | कुल मा.दि. | राशि | रिमार्क |
|------|------------------------------------|-----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 01 | 02 | 03 | | 04 | | 05 | 06 | 07 |
| 01 | सुरक्षा श्रमिक 01 (01 श्र. 12 माह) | 12 | माह | 12220 | रू./माह/श्र. | 312.00 | 146640 | जॉबदर |
| 02 | अग्नि सुरक्षा पट्टी | 3.00 | कि.मी. | 2.25 | मा.दि./कि.मी. | | 3173 | जॉबदर |
| 03 | फेसिंग मरम्मत कार्य | L.S. | | L.S. | | - | 50000 | अनुमानित |
| 04 | अन्य व्यय | L.S. | | L.S. | | - | 1807 | अनुमानित |
| | | | | Total | | 312.00 | 201620 | |

Day
वनमण्डल अधिकारी

दशम् वर्ष 2029-30 (रख-रखाव)

14.220

= प्राप्त रकबा हेक्टर में

मा.दि.-

494

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य कि मात्रा | | दर प्रति ईकाई | | कुल मा.दि. | राशि | रिमांक |
|------|------------------------------------|-----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 01 | सुरक्षा श्रमिक 01 (01 श्र. 12 माह) | 12 | माह | 12844 | रु./माह/श्र. | 312.00 | 154128 | जॉबदर |
| 02 | अग्नि सुरक्षा पट्टी | 3.00 | कि.मी. | 2.25 | मा.दि./कि.मी. | | 3335 | जॉबदर |
| 03 | अन्य व्यय | L.S. | | | L.S. | - | 1537 | अनुमानित |
| | | | | Total | | 312.00 | 159000 | |

ग्यारहवाँ वर्ष 2029-30 (रख-रखाव)

14.220

= प्राप्त रकबा हेक्टर में

मा.दि.-

519

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य कि मात्रा | | दर प्रति ईकाई | | कुल मा.दि. | राशि | रिमांक |
|------|------------------------------------|-----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 01 | सुरक्षा श्रमिक 01 (01 श्र. 12 माह) | 12 | माह | 13494 | रु./माह/श्र. | 312.00 | 161928 | जॉबदर |
| 02 | अग्नि सुरक्षा पट्टी | 3.00 | कि.मी. | 2.25 | मा.दि./कि.मी. | | 3503 | जॉबदर |
| 03 | अन्य व्यय | L.S. | | | L.S. | - | 1569 | अनुमानित |
| | | | | Total | | 312.00 | 167000 | |

व्यय का गोषवारा


| क्र. | वित्तीय वर्ष | कार्य विवरण | कुल मा. दि. | मजदूरी दर | राशि | | | प्रति हेक्टर व्यय |
|------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | | | मजदूरी राशि | अन्य व्यय राशि | कुल राशि | |
| 01 | प्रथम वर्ष | भूमि तैयारी | 2092.69 | 318 | 665475 | 3419525 | 4085000 | 287271 |
| 02 | द्वितीय वर्ष | रोपण | 1200.60 | 334 | 401002 | 434998 | 836000 | 58790 |
| 03 | तृतीय वर्ष | रखरखाव | 751.40 | 351 | 263741 | 316259 | 580000 | 40788 |
| 04 | चतुर्थ वर्ष | — | 602.09 | 369 | 222171 | 207829 | 430000 | 30239 |
| 05 | पंचम वर्ष | — | 397.32 | 388 | 154160 | 170840 | 325000 | 22855 |
| 06 | षष्ठम वर्ष | — | 312.00 | 407 | 126984 | 166016 | 293000 | 20605 |
| 07 | सप्तम वर्ष | — | 312.00 | 427 | 133224 | 54776 | 188000 | 13221 |
| 08 | अष्ठम वर्ष | — | 312.00 | 448 | 139776 | 4224 | 144000 | 10127 |
| 09 | नवम वर्ष | — | 312.00 | 470 | 146640 | 54980 | 201620 | 14179 |
| 10 | दशम वर्ष | — | 312.00 | 494 | 154128 | 4872 | 159000 | 11181 |
| 11 | ग्यारहवाँ | — | 312.00 | 519 | 161928 | 5072 | 167000 | 11744 |
| | | | 6916 | 4525 | 2569229 | 4839391 | 7408620 | 521000 |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
सैलाना

उप वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

श्रीगलिफा बाट नाञ्जाक परिभोजना क एवज में प्राप्त और वन क्षति ज्ञान-केंद्र, सर्वेक्ष. 118/4, 1
कुल रकबा. 149.2



संकेत :-

| | | |
|----------------|---|----------------|
| वनक्षति केंद्र | - | Orange line |
| निरीक्षण पथ | - | Brown line |
| नालाइ निर्माण | - | Blue wavy line |
| उष्ण निर्माण | - | Blue wavy line |
| पौधा रोपण | - | Green dots |
| स्ट निर्माण | - | Blue triangle |

Garmin Ltd. or its Subsidiaries 1995-2008 The external boundaries of India as depicted in map(s) are neither correct nor authentic. Other external boundaries as depicted it

कामल सिंह देवड़ा
 वन परिशोधन सहायक
 जालपा


वन परिशोधन अधिकारी
 सैलाना


200 m

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल ग्राम वन समिति – कन्सेर के राजस्व क्षेत्र के सर्वे न. 118/03 एवं 118/04 तहसील पिपलोदा जिला रतलाम का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई है। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार कार्यों के योग्य है।


प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
सैलाना


उप वनमण्डलाधिकारी
रतलाम


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम


तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक/व्यय/2020/.....21..... दिनांक 17/09/2020 द्वारा जारी की गई।



मुख्य वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त, उज्जैन

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम-कन्सेर के सर्वे नम्बर 118/03 एवं 118/4 तहसील पिपलोदा का मेरे द्वारा निरीक्षण दिनांक 26-12-2018 को किया गया है। निरीक्षण के समय उक्त क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त होकर वृक्षारोपण एवं उपचार हेतु उपयुक्त पाया गया है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
सैलाना


उप वनमण्डलाधिकारी
रतलाम


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक/व्यय/2020/..... दिनांक 17/09/2020 द्वारा जारी की गई।

मुख्य वनसंरक्षक एवं
पदेन वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त, उज्जैन

**आदेश द्वारा श्री अजय कुमार यादव (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक,
एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन**

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/मा.चि./2020/ 21


उज्जैन, दिनांक...17/09/2020

प्रकरण अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/मा.चि./2019/82 दिनांक 05-09-2019 से जारी तकनीकी स्वीकृती एतद द्वारा निरस्त की जाकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रं./एफ-3/84/2018/10-11/16/798 दिनांक 27-02-2020 से दिये गये निर्देशों के पालन में वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल रतलाम द्वारा उनके पत्र क्रं./मा.चि./ 2020/3197 दिनांक 25-08-2020 से वनमण्डल रतलाम के परिक्षेत्र बाजना की बीट कुन्दनपुर के कक्ष क्रं. पी-83 एवं पी-85 अन्तर्गत प्रस्तावित माण्डलिया घाट तालाब हेतु 14.220 हे. वन भूमि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम द्वारा वनभूमि की उपयोगार्थ मांग के बदले समतुल्य गैर वन भूमि में 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना संशोधित कर निम्नानुसार प्रेषित की है।

| अ.क्र. | तहसील का नाम | परिक्षेत्र का नाम | ग्राम का नाम | सर्वे नं. | रकबा (हे. में) | वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि |
|--------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | पिपलोदा | सैलाना | कन्सेर | 118/3. 118/4 | 14.220 | 7408620/- |

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल रतलाम द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना राज्य शासन द्वारा अनुमोदित क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये स्थल विशेष प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु प्रसारित दिशा निर्देशों के अनुरूप शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशियल पावर्स 2012 वॉल्यूम II में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिन्दु क्रं. 14-बी में निहित एवं प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एवं म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रं./एफ 3-2/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 30 जनवरी 2013 से वानिकी कार्यों की तकनीकी स्वीकृती हेतु प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वनमण्डलाधिकारी रतलाम द्वारा प्रेषित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रु. 7408620/- (रु. चौहत्तर लाख आठ हजार छह सौ बीस मात्र) की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है :-

- 1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरों निर्धारित नामर्स एवं बजट प्रावधानों के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
- 2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
- 3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रं./डी. /3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक-एफ-03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।



- 4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावे।
- 5) सामग्री क्रय करते समय भण्डार नियमों का पालन किया जावे। जो सामग्री कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावे।
- 6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।
- 7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्डलाधिकारी/उपवनमण्डलाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्डलाधिकारी, 50% उपवनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।
- 8) वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।
- 9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- 10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।
- 11) वनमण्डलाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नहीं कराया गया है।
- 12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जावे।
- 13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।
- 14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।
- 15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13-11-2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी में चरसा किया जावे।
- 16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यों की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।
- 17) किये गये कार्यों की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई-ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System में समय-समय पर की जावे।
- 18) वनमण्डलाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।
- 20) स्वीकृत राशि से अधिक व्यय न किया जावे। वास्तविक व्यय अथवा स्वीकृत राशि, जो भी कम हो, को मान्य किया जावेगा।

- 21) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
- 22) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होने के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रूप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(अजय कुमार यादव)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 17/9/2020

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2020/ 4877

- (1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल रतलाम की ओर उनके क्र./मा.चि/ 2020/3197 दिनांक 25-08-2020 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

(अजय कुमार यादव)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन